

गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।

पत्रांक: २१३३ /सम्पत्ति/2017-18 दिनांक:- २४/१२/१७

श्री अजय शर्मा,

अधिकृत हस्ताक्षरी

मैसर्स ए.वी.एस. इण्डिया इन्फ्रा प्रा० लि०

डी०-११६, बेसमेन्ट, डिफेन्स कालोनी,

निकट मेन रोड नई दिल्ली।

कृपया आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक ११.१०.२०१७, जिसके द्वारा खसरा संख्या-१०९१/१ मि० ग्राम नूरनगर पर आपकी उपरोक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत होटल के मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में तहसील लेखपाल, ग्राम सिहानी श्री रमेशचन्द की आख्या दिनांक २३.१२.२०१७ एवं श्री अनुज कुमार, राजस्व निरीक्षक, गाजियाबाद नगर निगम की आख्या दिनांक २८.१२.२०१७ के अनुसार ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता संख्या-६५७ के खसरा नम्बर-१०९१/१ रकबा ०.१६६० हे० मा० गु० ६.५० पैसे पर मैसर्स ए.वी.एस. इण्डिया इन्फ्रा प्रा० लि० डी०-११६, बेसमेन्ट, डिफेन्स कालोनी निकट मेन रोड नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अजय शर्मा पुत्र श्री जयभगवान शर्मा निवासी-मकान नम्बर १०४ सैक्टर-१० नया राजनगर गाजियाबाद का नाम बतौर बैनामा दर्ज मालिक है तथा उपरोक्त भूमि के पूरब में सड़क पश्चिम में भूमि खसरा नम्बर-१०९३ श्री जयकृष्ण डवलपर्स प्रा० लि० उत्तर में खसरा नम्बर-१०९१ का शेष भाग सुरेन्द्र त्यागी व दक्षिणी भाग में भूमि खसरा नम्बर-१०९१/२ का शेष भाग है। ग्राम समाज/सीलिंग अथवा किसी प्रयोजन की भूमि नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

अतः तहसील लेखपाल की आख्यानुसार यह अनापत्ति इस शर्त पर निर्गत की जा रही है कि आवेदक अपनी निजी भूमि पर निर्माण करता है तो गाजियाबाद नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके साथ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि भविष्य में उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई विपरीत तथ्य पाये जाते हैं तो यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।


संयुक्त नगर आयुक्त/सम्पत्ति प्रभारी,
गाजियाबाद नगर निगम।